भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3179
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026

डिजिटल धोखाधड़ी

3179. श्री अरुण गोविलः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के माध्यम से डिजिटल धोखाधड़ी और तथाकथित "डिजिटल अरेस्ट" जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई विशेष तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) संचार साथी, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जैसी पहलों के माध्यम से दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने में अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु बैंकों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और आम जनता के लिए कोई प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और हापुड़ जिलों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने डिजिटल धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें तथाकथित "डिजिटल अरेस्ट" जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। कुछ प्रमुख उपाय और उनके परिणाम निम्नलिखित हैं:

i. *संचार साथी:* यह एक नागरिक केंद्रित पहल है, जो वेब पोर्टल (www.sancharsaathi.gov.in) और मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है जो नागरिकों

को संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने, अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जानकारी प्राप्त करने, खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट करने, मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता की जांच करने आदि की सुविधा प्रदान करते हैं। संचार साथी के माध्यम से 9.08 लाख खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए हैं, नागरिकों द्वारा 'मेरा नंबर नहीं' या 'आवश्यक नहीं' के रूप में रिपोर्ट किए गए 2.41 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं और नागरिकों द्वारा संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार से संबंधित प्रदान की गई 8.54 लाख इनपुट के आधार पर 39.73 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं।

ii. *अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम (सीआईओआर):* यह ऐसा सिस्टम है जो भारत से आते हुए प्रतीत होने वाले भारतीय मोबाइल नंबरों से प्रदर्शित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ्ड कॉल्स की पहचान करता है और उन्हें ब्लॉक करता है। ऐसी कॉल्स का दुरुपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर-धोखाधड़ी में सरकारी अधिकारियों के रूप में किया जा रहा है। दिनांक 17.10.2024 को शुरू किए जाने के बाद से, सीआईओआर ने 24 घंटों में 1.35 करोड़ कॉल्स को ब्लॉक करते हुए महत्वपूर्ण परिणाम दिखाए है और भारतीय कॉलिंग लाइन पहचान वाली स्पूफ्ड कॉल्स में लगभग 99% की कमी आई है। जो कॉल्स अभी भी अंतर्राष्ट्रीय गेटवे पर आती हैं, उन्हें वहीं ब्लॉक कर दिया जाता है।

iii. *डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी):* यह साइबर-अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए हितधारकों के साथ द्विदिशात्मक सूचना साझाकरण हेतु सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। डीआईपी पर 1,200 से अधिक संगठन पंजीकृत हैं, जिनमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), बैंक, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) सेवा प्रदाता, भुगतान प्रणाली प्रचालक और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) शामिल हैं।

iv. *वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई):* यह जोखिम-आधारित मापदंड है जो किसी संदिग्ध मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मध्यम, उच्च या अत्यंत उच्च जोखिम से जुड़े होने की संभावना के आधार पर वर्गीकृत करता है। एफआरआई हितधारकों - विशेष रूप से बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और यूपीआई सेवा प्रदाताओं को प्रवर्तन को प्राथमिकता देने और अतिरिक्त ग्राहक सुरक्षा उपाय, जैसे कि बढ़ी हुई तत्परता और चिह्नित मोबाइल नंबरों के लिए आवश्यक वास्तविक-समय प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल (अलर्ट, लेनदेन में देरी, चेतावनी, लेनदेन की अस्वीकृति आदि) को

अपनाने को सक्षम बनाता है। मई, 2025 में इसके शुरू होने के बाद से, वित्तीय संस्थानों ने बताया है कि एफआरआई का उपयोग करके 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन को रोका गया है।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग (डीओटी) और उसकी क्षेत्रीय इकाइयाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार लेख, डिजिटल स्क्रीन, सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स, टीवी एवं रेडियो संदेश, एसएमएस अभियान, संचार मित्र स्कीम के माध्यम से छात्र स्वयंसेवकों आदि सहित बहुभाषी जागरूकता अभियान सक्रिय रूप से चला रही हैं। दूरसंचार विभाग टीएसपी, बैंकों, राज्य पुलिस सहित विभिन्न हितधारकों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों ने दिनांक 1.1.2025 से 639 संचार साथी जागरूकता कार्यक्रम, हितधारकों के साथ 399 बैठकें, हैंडसेट रिकवरी के लिए राज्य पुलिस प्रयोक्ताओं के लिए 141 प्रशिक्षण आयोजित किए हैं और 1217 भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। मेरठ और हापुड़ जिलों में, उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल 10 संचार साथी जागरूकता कार्यक्रम और राज्य पुलिस प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

****